कार्यालय उप निदेशक महिला एवं बाल विकास विभाग,बारां

क0 नं0 121, द्वितीय तल, जिलापरिषद् भवन, मिनीसचिवालय, कोटारोड, बारां (राज0) 325205
I.C.D.S E-mail address- ddbaran.wcd@rajasthan.gov.in, ddbaran.wcd@gmail.com दूरभाष नं0– 07453-237012

क्रमांकः विज्ञप्ति / म.बा.वि. /2023–24 / 1245 दिनांक : 28/6/2023

विज्ञप्ति संख्या –2 / 2023

जिले की निम्नलिखित परियेाजनाओं के सम्मुख अंकित ग्राम पंचायतों / वार्डों में आंगनबाडी कार्यकर्ता / मिनिकार्यकर्ता / सहायिका के स्वैच्छिक मानदेय सेवा के रिक्त पदों हेतु संबंधित परियोजना कार्यालयों मे आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं–

क्र. सं.	परियोजना कार्यालय का नाम एवं ईमेल आई0डी0	ग्राम पंचायत / नगरीय निकाय का नाम	ग्राम / वार्ड	आंगनबाडी केंद्र का नाम	रिक्त मानदेय पद का नाम	आरक्षित वर्ग
1	बाल·विकास परि0 अधिकारी, अंता	माल बमोरी	बालापुरा	बालापुरा	सहायिका	GEN
2	antacdpo@gmail.com	चहेडिया	चहेडिया	चहेडिया	सहायिका	Mino.
3		बडवा	बडवा–2	बडवा–2	सहायिका	GEN
4		रायथल	रायथल	रायथल–1	सहायिका	GEN
5		बालदडा	बालदडा	बालदडा–1	सहायिका	Mino.
6		बमोरीकलां	बमोरीकलां	बमोरीकलां–1	सहायिका	GEN
7	बाल विकास परि0 अधिकारी,	ननावता	बडौदिया	बडौदिया	सहायिका	GEN
8	अटरूcdpoatru@gmail.com	ढोटी	छजावा	छजावा	सहायिका	GEN
9	बाल विकास परि0	मियाडा	रेबारपुरा	रेबारपुरा	कार्यकर्ता	GEN
10	अधिकारी,बारांcdporural93@gmail.com	लिसाडिया	समसपुर	समसपुर–1	सहायिका	GEN
11	बाल विकास परि0 अधिकारी, छबडा	गोडियामेहर	गोडियामेहर	गोडियामेहर	कार्यकर्ता	GEN
12	cdpochhabra@gmail.com	मूंडला	बल्हारपुर	बल्हारपुर	कार्यकर्ता	GEN
13		खोपर	भंवरा	भंवरा	कार्यकर्ता	GEN
14		कडैयावन	कडैयावन	कडैयावन–1	कार्यकर्ता	GEN
15		बाहरी	खांखरा	खांखरा–1	कार्यकर्ता	GEN
16		झरखेडी	भंवर	भंवर	सहायिका	GEN
17		झरखेडी	बिन्दाराडी	बिन्दाराडी	सहायिका	GEN
18		तेलनी	जाला	जाला	सहायिका	ST
19		पाली	काबरखोह	काबरखोह	सहायिका	ST
20		चांचोडा	शंकरकॉलोनी	शंकरकॉलोनी	सहायिका	SC
21	बाल, विकास परि0 अधिकारी	काल्पाजागीर	बरसत	बरसत–1	कार्यकर्ता	GEN
22	छीपाबडौद	छीपाबडौद	छीपाबडौद	छीपाबडौद–6	कार्यकर्ता	GEN
23	cdpochhipabarod@gmail.com	मानपुरा	मानपुरा	मानपुरा–1	सहायिका	GEN
24	बाल विकास परि0 अधिकारी,	पीपल्दाकलां	पीपल्दाकलां	पीपल्दाकलां–2	सहायिका	GEN
25	किशनगंज	गरडा	गरडा	गरडा–2	सहायिका	GEN
26	cdpo.kishanganj@rajasthan.gov.in	करवरीकंला	करवरीकंला	क्रवरीकंला–1	सहायिका	GEN
27		खण्डेला	खण्डेला	खण्डेला–2	सहायिका	GEN
28		रेलावन	रेलावन	रेलावन–1	सहायिका	GEN
29	बाल विकास परि0 अधिकारी, शाहबाद	बिची	बिची	आमखो	कार्यकर्ता	ST
30	shahbadcdpo14@gmail.com	नाटई	सिलोरा	सिलोरा	सहायिका	ST
31		गणेशपुरा	गणेशपुरा	गणेशपुरा	कार्यकर्ता	GEN
32		समरानिया	समरानिया	समरानिया–2	कार्यकर्ता	GEN
33		आगर	रामपुर तहलेटी	रामपुर तहलेटी	कार्यकर्ता	GEN

1. ग्रामीण क्षैत्र मे महिला जिस आंगनबाडी केन्द्र के लिए चयन हो रहा है उसके राजस्व ग्राम की तथा शहरी क्षैत्र मे संबंधित आंगनबाडी केन्द्र परिक्षैत्र के वार्ड की स्थानीय निवासी होनी चाहिए। विधवा / तलाकशुदा / परित्यकता महिला को ससुराल व मायके दोनो स्थानो के लिए यथानुसार स्थानीय निवासी माना जा सकेगा।
2. आंगनबाडी कार्यकर्ता / मिनी कार्यकर्ता / सहायिका के पद पर चयन हेतु न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता बारहवी उत्तीर्ण होना आवश्यक है।
3. आवेदक का विवाहित होना अनिवार्य है।
4. विज्ञप्ति जारी होने की तिथि तक आवेदक की आयु 18–35 वर्ष होनी चाहिए। अनुसूचित जाति, जनजाति, विधवा, तलाकशुदा एवं विशेष योग्यजन (गति आधारित –प्रमस्तिष्क घात, रोगमुक्त, कुष्ठ, बौनापन, तेजाब अक्रमण के पीडित, पेशीय दुष्पोषण) के प्रकरण मे अधिकतम आयु 40 वर्ष होगी। आंगनबाडी मानदेय सेवा का कार्मिक सेवा करते हुए यदि पुनः किसी मानदेय सेवा के लिए आवेदन करता है तो उस पर आयु सीमा की बाध्यता लागू नही होगी।
5. आवेदनकर्ता महिला के घर मे शौचालय होने एव उसका नियमित उपयोग किये जाने संबंधी घोषणा आवेदन पत्र मे किया जाना आवश्यक है।
6. विधवा हेतु प्रमाण पत्र के रूपमे पति की मृत्यू का प्रमाण पत्र तथा आवेदन मे पुनर्विवाह नही करने की घोषणा का अंकन आवश्यक होगा।
7. तलाकशुदा की स्थिति मे सक्षम न्यायालय से जारी डिक्री / आदेश की प्रति तथा आवेदन मे पुनर्विवाह नही करने की घोषणा का अंकन आवश्यक होगा।

8. विभिन्न पदो के लिए चयन हेतु विभागीय परिपत्र क्रमांक 4244 दिनांक 12.01.2023 के अनुसार मूल्यांकन का एक मापदण्ड निर्धारित जिसे संबंधित परियोजना कार्यालय अथवा विभागीय वेबसाईट पर देखा जा सकता है। संलग्न दस्तावेजो के आधार पर विभागीय परिपत्र अनुसार अंक निर्धारित कर वरीयता सूची से चयन किया जावेगा।
9. सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक 45955 दिनांक 08.08.2019 के अनुसार पिछडा वर्ग नॉन क्रीमिलेयर के प्रमाण पत्र संबंधी तथ्य को 3 वर्ष के लिए विधि सम्मत शपथ पत्र के आधार पर मान्यता दी जायेगी। विज्ञप्ति जारी होने की तिथि से 1 वर्ष से अधिक पुराना प्रमाण–पत्र मान्य नही होगा।
10. सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक 28046 दिनांक 06.05.2022 के अनुसार आर्थिक कमजोर वर्ग प्रमाण पत्र संबंधी तथ्य को 3 वर्ष के लिए विधि सम्मत शपथ पत्र के आधार पर मान्यता दी जायेगी। विज्ञप्ति जारी होने की तिथि से 1 वर्ष अधिक पुराना प्रमाण पत्र मान्य नही होगा।
11. राजस्थान राज्य से भिन्न राज्यो के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछडा वर्ग/विशेष पिछडा वर्ग /आर्थिक पिछडा वर्ग अभ्यार्थियो को सामान्य वर्ग का माना जायेगा।
12. आवेदन पत्र के साथ (1) अधिकतम शैक्षणिक योग्यता संबंधी अंकतालिका /प्रमाण पत्र (2) सैकण्डरी की अंकतालिका/प्रमाण पत्र (3) बीएड/एनटीटी/डीपीएसई/बीएसटीसी/डीएलएड डिप्लोमा (यदि लागू हो तो) (4) मतदाता पहचान पत्र /राशन कार्ड/आधार/जनआधार कार्ड/मूल निवास प्रमाण पत्र (5) अनुसूचित जाति/जनजाति/पिछडा वर्ग/विशेष पिछडा वर्ग /आर्थिक पिछडा वर्ग/अल्प संख्यक वर्ग/दिव्यांग जन होने का प्रमाण पत्र (यदि लागू हो तो) (6) आंगनबाडी कार्यकर्ता/मिनी आंगनबाडी कार्यकर्ता/शिशु पालना गृह कार्यकर्ता/सहायिका/आशा सहयोगिनी /साथिन के रूप मे 01 वर्ष का कार्यानुभव प्रमाण पत्र (यदि लागू हो तो) (7)एएनएम/जीएनएम/आयुर्वेद नर्सिंग के प्रशिक्षण का प्रमाण पत्र (यदि लागू हो तो) (8) RSCIT/PGDCA/O-level/Telly के प्रशिक्षण का प्रमाण पत्र (यदि लागू हो तो) (8)विधवा/तलाकशुदा का प्रमाण पत्र (यदि लागू हो तो) इत्यादि दस्तावेजो की स्वप्रमाणित प्रति अनिवार्यतः संलग्न किये जावे।
13. जिन आंगनबाडी केन्द्रो के कवरेज क्षैत्रो मे जनसंख्या का 50 प्रतिशत या अधिक अनुसूचित जाति/जनजाति/अल्प संख्यक वर्ग का है तो उन केन्द्रो के चयन हेतु उसी वर्ग की महिला का चयन अनिवार्यतःअ किया जायेगा। कवरेज क्षैत्र मे जनसंख्या की गणना मुख्यतया आंगनबाडी सर्वे रजिस्टर के आधार पर ही की जायेगी।
14. आवेदन फार्म संबंधित बाल विकास परियोजना अधिकारी कार्यालय से निःशुल्क प्राप्त किये जा सकते है। योग्य अभ्यर्थी अपना पूर्ण भरा हुआ आवेदन पत्र मय दस्तावेज दो प्रतियों मे संबंधित बाल विकास परियोजना अधिकारी कार्यालय मे व्यक्तिशः प्रकाशन की दिनांक से 30 दिवस .को सांय 5:00 बजे तक जमा करा सकेंगे । अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय मे भेजे जाने वाले आवेदन पत्र स्वीकार नही किये जायेगे।
15. आवेदनकर्ता द्वारा आवेदन जमा करवाये जाने के पश्चात किसी भी प्रकार की कमी पूर्ति हेतु संलग्न किये जाने से वंचित दस्तावेज को प्रार्थना के साथ संलग्न कर विज्ञप्ति मे वर्णित आवेदन जमा करवाये जाने के अन्तिम तिथि तक आवेदन पत्र मे सम्मिलित करवाया जा सकेगा, परन्तु अन्तिम तिथि के पश्चात किसी भी प्रकार के दस्तावेज को शामिल नही किया जायेगा।
16. इस संबंध मे विस्तृत जानकारी उप निदेशक कार्यालय/संबंधित बाल विकास परियोजना अधिकारी कार्यालय तथा विभागीय वेबसाईट **wcd.rajasthan.gov.in** पर उपलब्ध कार्यकर्ता/मिनी कार्यकर्ता/सहायिका चयन संबंधी विभागीय परिपत्र क्रमांक 4244 दिनांक 12.01.2023 से प्राप्त की जा सकती है।
17. सभी आवेदक आवेदन पत्र (समस्त संलग्न दस्तावेजो के पृष्ट संख्या अंकित करवाकर) की प्राप्ति रसीद अवश्य प्राप्त करे।

उप निदेशक,
महिला एवं बाल विकास विभाग,
बारां

क्रमांकः विज्ञप्ति/ म.बा.वि./2023–24/ 1246–81   दिनांक : 28/6/2023

प्रतिलिपि–निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु–

1. श्रीमान निदेशक महोदया, समेकित बाल विकास सेवाएँ, राजस्थान जयपुर।
2. श्रीमान जिला कलक्टर महोदय, बारां।
3. श्रीमान निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, राजस्थान सरकार को प्रेषित कर निवेदन है कि उक्त विज्ञप्ति दो (2) राज्य स्तरीय समाचार पत्र के स्थानीय संस्करण मे DIPR दर पर न्यूनतम स्पेस मे प्रकाशित करावे।
4. श्रीमान मुख्य कार्यकारी अधिकारी महोदय, जिला परिषद, बारां।
5. श्रीमान ए.सी.पी. मुख्यालय को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
6. उप खण्ड अधिकारी, समस्त............................ जिला बारां।/ जिला सूचना एवं जन सम्पर्क अधिकारी, बारां।
7. आयुक्त, नगर परिषद, बारां/अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका, अन्ता/छबडा/मांगरोल/अटरू।
8. विकास अधिकारी, पंचायत समिति, समस्त................ जिला बारां।
9. बाल विकास परियोजना अधिकारी, समस्त................जिला बारां को भेजकर लेख है कि आगामी ग्राम सभा मे उक्त रिक्त पदो के चयन की कार्यवाही विभागीय परिपत्रो के अनुसार कराना सुनिश्चित करे। साथ ही परियोजना एवं ग्राम पंचायत स्तर पर नियमानुसार विज्ञप्ति का प्रचार–प्रसार करवाना सुनिश्चित करे।
10. सरपंच/सचिव सम्बन्धित ग्राम पंचायत.................................... द्वारा सम्बन्धित बाल विकास परियोजना अधिकारी।
11. नोटिस बोर्ड कार्यालय हाजा।

उप निदेशक,
महिला एवं बाल विकास विभाग, बारां